संख्या-131/2023/2600/सैंतीस-2-2023/001-1(31)/2015टीसी

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-17 नवम्बर, 2023

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (के.25/रा.50/ला.25-के.+रा.) के अन्तर्गत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-227/प.-2/17(13)/2023-24, दिनांक-25.10.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-102-पशु तथा भैंस विकास-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8902-जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के निम्नलिखित मानक मदों के अन्तर्गत कुल रू0-1188.41 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ अठ्ठासी लाख इकतालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा धनराशि आहरित कर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
42-अन्य व्यय	1186.25
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.16
योग-	**1188.41**

(रूपये ग्यारह करोड़ अठ्ठासी लाख इकतालिस हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(3) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा।

(5) इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(6) वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि योजना में केन्द्रांश अवश्य प्राप्त होगा।

(10) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस0एन0ए0 खाते में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाये, जिसका वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग हो जाये, अन्यथा वित्तीय वर्ष के अन्त में एस0एन0ए0 खाते में राज्यांश की अवशेष अव्ययित धनराशि का होना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(11) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ द्वारा एस0एन0ए0 खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 एवं तद्विषयक संशोधित शासनादेश दिनांक 01 अगस्त, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 11,86,25,000 (रुपये ग्यारह करोड़ छियासी लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403001028902 जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय (*2*) रुपये 2,16,000 (रुपये दो लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 015 **लेखा शीर्षक** 2403001028902 जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना **मानक मद** 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-281-X-2023-24, दिनांक-09 नवम्बर, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-131/2023/2600(1)/सैंतीस-2-2023/001-1(31)/2015टीसी, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।